International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(I), October - December, 2025, pp. 35-40

विवाहित कामकाजी महिलाओं की दोहरी कार्य भूमिकाः भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में

सविता भदौरिया*

पीएच.डी. शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

*Corresponding Author: savita.deepa@gmail.com

Citation: सविता भदौरिया.(2025). विवाहित कामकाजी महिलाओं की दोहरी कार्य भूमिकाः भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(I)), 35–40.

सार

महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के बहुआयामी प्रयास, उदारवादी विचारधारा, तकनीक विकास ने महिलाओ को कार्यस्थल पर सकरात्मक वातावरण उपलब्ध कराया है । भारत देश में महिलाओं की कुल आबादी 69.2 करोड़ है, महिलाओ की कुल जनसंख्या का 41.7 प्रतिशत कामकाजी है। शिक्षा, नगरीकरण, आधुनिकीकरण से प्रेरित बदलते युग में द्वितीय दर्जा प्राप्त महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रस्थिति एवं भूमिका में भी परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक समाज में घरेलू कार्यो का कोई आर्थिक मूल्य ना होने पर भी उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रत्येक महिला का नैतिक कर्तव्य माना जाता है। एक विवाहित महिला जब घर से बाहर संस्थागत वेतन आधारित कार्य करती है, तब उसे कामकाजी महिला की संज्ञा दी जाती है। प्रस्तुत शोध पत्र द्वारा कामकाजी महिलाओं की दोहरी भूमिका, भूमिका अधिभार एवं संघर्ष की चुनौतीयों से उनके व्यक्तित्व एवं स्वास्थ पर दुष्प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

शब्दकोशः *दोहरी भूमिका, प्रस्थिति, मूल्य, भूमिका व्यवहार।*

प्रस्तावना

किसी भी संगठित समाज व्यवस्था के निर्माण में आधी भागीदारी महिलाओ की होती है।भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही श्रम विभाजन के सामान्य स्वरूप के अंतर्गत महिलाओ को घरेलू एवम देखभाल संबंधी कार्य तथा पुरुषों को शिकार, कृषि, कौशलपूर्ण कार्य का दायित्व दिये गये। सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज के बाहरी कार्यो का लेन–देन मुद्रा में किया जाने लगा।परंतु घरेलु कार्य के साथ उत्तरदायित्व, नैतिकता, धर्म आधारित सामाजिक मानदंड जोड़ दिये गये। प्रत्येक समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक, संस्तरण एवं सोपानिक व्यवस्था का प्रचलन सदैव रहा है। महिलाओ द्वारा घरेलू स्तर पर किये गये कार्य अवैतनिक होने के कारण पितृसत्तात्मक समाज में प्राय घरेलू एवम देखभाल संबंधी कार्यो को सरल कार्य की संज्ञा दी गई, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था में कठिन कार्यो के लिए विशेष पारितोष या लाभ की व्यवस्था की गयी है। पुरुष व महिला प्रत्येक समाज के आधार स्तंभ है। भारतीय समाज के प्रत्येक युग में महिलाओ की स्थिति प्रगतिशील नही रही, यहाँ तक की रामराज्य मे भी सीता रूप नारी निर्वासित, उद्वेलित, उत्पीड़ित रही (अंसारी एम ए 2007)।

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

महिलाएं समाज का वह अर्ध भाग है, जिनके विकास के बिना किसी भी देश का समावेशी एवं सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति अधूरी है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य के बिंदु सं 4, 5, 8,10,16 लैंगिग समानता एवम महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सतत विकास लक्ष्य	विवरण
4 QUALITY EDUCATION	समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।
5 GENDER EQUALITY	लैंगिग समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना ।
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	सतत समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए।
10 REDUCED INEQUALITIES	देश के भीतर असमानता कम करना ।
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	टिकाऊ विकास के लिए शांतपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना और सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना ।

स्त्रोत: - https://sdgs.un.org/goals

परंपरागत भारतीय समाज में महिलाओं तथा पुरुषों का कार्य निर्धारण का आधार सरल प्रकार का था। भारतीय उच्च जाति की महिलाओं द्वारा घर से बाहर कार्य करना सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता था। (भारद्वाज,2017)। महिलाएं विपरीत परिस्थिति तथा आर्थिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर काम करने जाया करती थी। आधुनिक भारतीय समाज में स्वतंत्रता के सात दशक बाद भी नगरीकरण, आधुनिकीकरण, संवैधानिक कानून व स्वतंत्रता संबंधी नवीन प्रावधानों के पश्चात पारंपरिक जीवन शैली एवं सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधारा में परिवर्तन के आधार पर नवीन व्यवसाय की उत्पत्ति से महिलाओं को भी श्रमबल के रूप में घर से बाहर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महिला सशक्तिकरण, महिला संबंधी अध्ययन एवं विचारधाराओं के विकास से महिलाओं की घरेलू एवं कार्यस्थल संबंधी परंपरागत प्रस्थिति एवं भूमिका व्यवहार में परिवर्तन आया है। वैश्विक स्तर पर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ही महिलाओ को घर से बाहर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने महिलाओ को घर से बाहर उत्पादन कार्य मे सहयोग का आह्वान किया (नागर सविता, 1998 भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं)

आधुनिककाल में महिलाओ द्वारा नौकरी करना आपत्तिजनक नही वरन् सामाजिक प्रतिष्ठा का पर्याय बन गया है। 1947 के बाद मध्यम तथा उच्चवर्गीय महिलाओ ने उच्च प्रतिष्ठित व्यवसाय मे कार्य करना आरंभ किया। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के बहुआयामी प्रयास, उदारवादी विचारधारा, तकनीक विकास ने महिलाओ को कार्यस्थल पर सकरात्मक वातावरण उपलब्ध कराया है। भारत देश में महिलाओं की कुल आबादी

69.2 करोड़ है, देश की महिला जनसंख्या का 75 प्रतिशत महिलाएं विटामिन डी की कमी, कुपोषण,दोषपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं जूझ रही है। इसमें कामकाजी महिला भी सम्मिलित हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या 28. 86 करोड़ जो कि महिलाओ की कुल जनसंख्या का 41.7 प्रतिशत है। यह स्थिति महिलाओं में बढ़ते आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। फिर भी एक विडंबना ही है कि आंकड़ों के अनुरूप 58.3 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी महिलाओं की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।

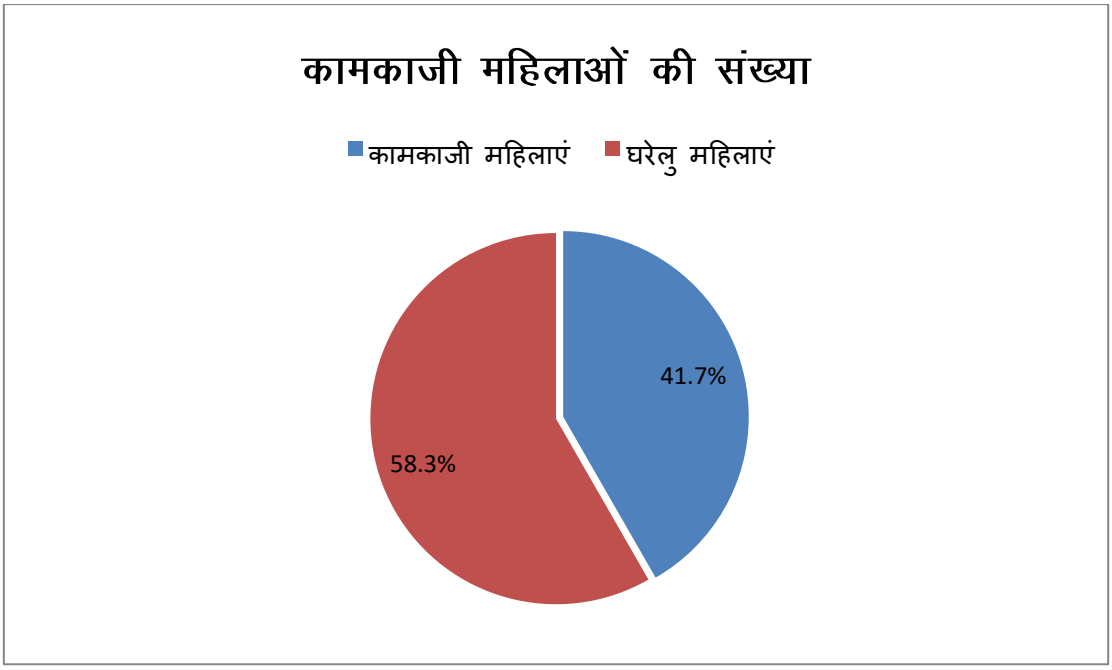

स्त्रोतः - https://www.mospi.gov.in

इसका मूल कारण परंपरागत कार्य विभाजन का सामाजिक–सांस्कृतिक स्वरूप जोकि आयु तथा लिंग के आधार पर रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह के पश्चात प्रत्येक महिला और पुरुष के उत्तरदायित्व गृहस्थ आश्रम के अनुसार सुनिश्चित किये जाते हैं, जिसमें पुरुषों द्वारा किए गए बाहरी कार्य का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में आकलन होता है। जबकि महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं। जिसे देश के सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित ही नहीं किया जाता है। (दैनिक भास्कर 23 मार्च, 2024 पेज नंबर 1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कामकाजी आबादी 2021 में 63 प्रतिशत रही है। जो की 2011 के 59 प्रतिशत से अधिक रही है। भारतीय बाजार में लिंग भेद के कारण महिलाओं की भागीदारी 2023–24 में 41.7 प्रतिशत रही। जो कि वर्तमान में पुरुषों के मुकाबले कम है। (दैनिक भास्कर 8 मार्च, 2024)। कामकाजी महिलाओ को दोहरे कार्य भूमिका में तब तक नही सम्मिलित नही किया जाता है, जब तक आर्थिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओ के कार्य को नही देखा जायेगा। महिलाओ की बेरोजगारी दर को निर्धारित कर रोजगार के अभाव में बेरोजगारी भत्ता भी अधिक मिलना चाहिये। महिलाओ द्वारा नौकरी करने का मूल उद्देश्य अपनी परिवारिक आय, जीवन शैली तथा सामाजिक प्रस्थिति निर्धारण का मार्ग माना जाता रहा है।

उद्देश्य

विवाहित कामकाजी महिलाओं के दोहरे कार्य जीवन से उत्पन्न भूमिका संघर्ष एवम भूमिका अधिभार के कारण तथा परिणाम को जानना।

साहित्य समीक्षा

डी टी हाल (1972) कहते है कि अधिकांश महिलाओ की पहचान में (पत्नी माँ कार्मिक तथा स्वयंसेवी) निश्चित भूमिका अपेक्षाओं को पूरा करने एवम भूमिका संघर्ष से मुकाबले के लिए तीन प्रकार के व्यवहार संरचनात्मक भूमिका, व्यक्तिक भूमिका, प्रतिक्रियात्मक भूमिका का उल्लेख किया है।

दोहरी भूमिका तथा कार्य अधिभार की स्थिति में कामकाजी महिलाओ मे विभिन्न मानसिक एवम विघटनकारी समस्याओं जैसे तनाव, तलाक बाल अनुशासनहीनता, कार्यक्षेत्र संबंधित गतिविधियों मे उदासीनता, परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अभाव, स्थानांतरण संबंधित मुद्दे, पदोन्नत्ति में पिछड़ा–पन भूमिका संघर्ष का ही परिणाम बताया गया है। डॉ गिरधर राव एम एस (2022)

दोहरी भूमिका वाले परिवारों में महिला जीवन साथी को करियर संबंधित महत्वाकांक्षाओ के लिए पुरुष जीवन साथी के समर्थन की आवश्यकता है। परंतु समाज द्वारा पुरुषों को विभिन्न सहायक भूमिका के लिए समाजीकृत ही नहीं किया जाता है। जबकि महिलाओ ने पुरुषों की व्यवसायिक गतिविधियों की सफलता एवम उन्नति के लिए सदैव समर्थन किया गया है। साथ ही परेंटल प्रोफेशनल भूमिका निर्वाह मे व्याप्त असंगतता, संघर्ष को दूर करने के लिए सामाजिक तथा संस्थागत सहयोग, परेंटिंग दायित्व निर्वाह हेतु अतिरिक्त संसाधनों की मांग की गयी है। एलमैन मार्गरेट आर – गिल्बर्ट ए लूसिया (1984)

यह अध्ययन कामकाज तथा परिवारिक भूमिका निर्वाह मे उत्पन्न संघर्ष के स्रोतों पर आधारित है। कार्य तथा परिवार की अनेक भूमिकाएं अंतरसंबंधित है क्योकि दोनों मे कर्ता एक ही है। अतरू समय प्रबंधन, तनाव तथा व्यवहार संबंधित मानकों के अलावा काम के घंटे, कार्यस्थल पर नमनीयता, परिवार संबंधित प्राथमिक दायित्व, बच्चो की उचित देखभाल आदि की चर्चा की गयी है। ग्रीनहौस् एच जेफरी एंड ब्यूटेल निकोलस जे (1985)

शोध में पश्चिमी आधुनिकीकरण का अंधानुकरण न कर देश विशेष के सांस्कृतिक मूल्य व विचारधाराओ के अनुरूप महिलाओ तथा पुरुष के प्रतिमानों मे वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख किया है, ताकि कामकाजी महिलाओ मे उत्पन्न तनाव, सापेक्षहीनता, भूमिका संघर्ष को कम किया जा सके। पेरेरा मिर्टले ई एच (1987)

शोध पत्र मे आत्मनिर्भर महिलाओ के परिवारों में लैंगिंग असमानता के वर्तमान स्तर पर परिचर्चा की गयी है, कार्य विभाजन के परंपरागत प्रतिमानों तथा महिलाओ को गृहकार्य तक सीमित करने वाले पितृसत्तात्मक संस्कृति के कारण नारी के प्रति समाज की भूमिका अपेक्षाओं का वर्णन किया गया है। शर्मा धारणा, बहुगुणा उमा (2023)

पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र तथ्य संकलन के द्वितियक स्रोत पर आधारित है। जिसके लिए विभिन्न शोध आलेख, पत्र– पत्रिका, सरकारी आंकड़े, दैनिक समाचार पत्रों एवम पुस्तकों का अध्ययन किया गया है।

कामकाजी महिलाएं एवम दोहरा कार्य जीवन

भारत देश में महिला तथा पुरुष के लिये निर्धारित आदर्श प्रतिमान के आधार पर महिलाओ का प्राथमिक दायित्व मां, पत्नी, बहु रूप में माना गया है। व्यक्ति के अर्थोपार्जन, परिवार का भरण–पोषण एवम देखभाल, काम करने का लक्ष्य आदि आधारभूत सामाजिक व्यवहारों का नियमन समाज द्वारा प्रदत्त मानदंड के आधार पर सुनिश्चित होता है। स्वतंत्रता के बाद महिला सशक्तिकरण एवम विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षित महिला ने स्वयं के आर्थिक उन्नयन हेतु घर से बाहर वैतनिक कार्य की ओर कदम बढ़ाया, घरेलू उत्तरदायित्व के रूप में अवैतनिक कार्य वे प्रारंभ से ही करती आ रही है। पुरुष समाज पर बढ़ते आर्थिक दबाव ने महिलाओ को घर से बाहर कार्य करने का विरोध ना करके मौन स्वीकृति दे

दी, परंतु परंपरागत घरेलू प्रस्थिति से जुड़ी भूमिका अपेक्षाओं का दायित्व भी महिलाओ पर ही है। भारत देश में शिक्षा की सार्थकता रोजगार से परिलक्षित होती है। अतरू भारतीय शिक्षित महिला द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता, जीवनवृत्ति के विकास हेतु कार्यस्थल पर कार्य करना विकास का द्वितीय स्तर है। विकास का यह स्तर महिलाओ को परस्पर विरोधी दोहरी भूमिका एक ओर गृहणी दूसरी ओर कार्मिक की भूमिका एवम दायित्व निर्वाह का अधिभार तथा विभिन्न समस्याओं को जन्म देता है। दोहरी भूमिका मे उचित समायोजन ना होने पर महिलाओ का पारिवारिक एवम कामकाजी जीवन प्रभावित होता है। परिवार तथा कार्यस्थल संबंधी दोहरी भूमिका में संतुलन बनाये रखना महिलाओ की प्रमुख समस्या है। वैसे तो तकनीकी साधनों से गृहकार्यो में महिलाओ को सहयोग मिला है। फिर भी संपूर्ण घरेलू दायित्व निर्वाह महिलाओ पर ही है। दोहरे दायित्व में महिलाओ की कार्यकुशलता, गतिशीलता, स्वतंत्रता मर्यादित होने लगती है। भूमिका संघर्ष जाति एवम वर्ग व्यवस्था पर आधारित है।

दोहरी भूमिका एवम समस्याएं

स्त्री की अधिकांश समस्याएं उसे देह मानकर ही हैं। यदि उसे शरीर, मन, आत्मा, और बुद्धि का समुच्चय माना जाए, धारणा बदल जायेंगी। (सिन्हा मृदुला) सभ्यता के आरंभिक दौर से ही पुरुषों की मुख्य भूमिका घर से बाहर कार्य करने एवम परिवार के आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने का कार्य किया है। अन्य सभी कार्य बच्चो तथा बुजर्गो की समुचित देखभाल, विभिन्न धार्मिक संस्कारो, उत्सव, परंपराओ रीति रिवाज के संचालन तथा संरक्षण का संपूर्ण कार्य महिलाओ द्वारा किया जाता रहा है। अपनी संतान में नैतिक गुणों का विकास कर महिला संतान की प्रथम गुरु कहलाती है। हर समाज की इकाई परिवार होती है। एक परिवार की विभिन्न सामाजिक अपेक्षाओं को एक महिला माँ, पत्नी, बहु के रूप मे महिला ही पूरा करती है। विवाहित कामकाजी महिला घर से लेकर कार्यस्थल तक की बहुआयामी भूमिका के जाल में इस तरह मर्यादित व सीमाबद्ध हो गयी है की सीमित समय एवम ऊर्जा के कारण सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, परम्परा, तीज–त्योहार, सामूहिक उत्सव, रीति रिवाज, प्रथाओ का संक्षिप्तिकरण होने लगा है।मातृ उत्तरदायित्व,लिंग आधारित श्रम विभाजन के परंपरागत समाजीकरण के कारण पुरुषों द्वारा गृहकार्यो मे सहयोग हेतु पर्याप्त कुशलता का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में महिलाओ का दोहरी भूमिका अधिभार के उचित समायोजन मे ही संपूर्ण समय व्यतीत हो जाता है। कार्यस्थल तथा पारिवारिक भूमिका दोनों एक ही कर्ता से संबंधित होने से परस्पर कार्य क्षेत्र मे द्विआयामी हस्तक्षेप होना स्वभाविक है। (ग्रीनहौस – ब्यूटेलय1985) दोहरी भूमिका तथा कार्य अधिभार की स्थिति वैक्तिक विघटन को जन्म देती है। विवाहित कामकाजी महिलाओ में उदासीनता, तनाव, तलाक, बच्चो की उचित देखभाल हेतु समय अभाव, कार्यस्थल संबंधित गतिविधियों मे उदासीनता, पदोंन्नति में पिछडापन, अकादमिक कार्य के लिए समय अभाव, जैसी समस्याओं का निराकरण आवश्यक है। (डॉ गिरधर राव एम एसय 2022) धार्मिक परंपराओ एवम रीति रिवाज उत्सव का भारतीय संस्कृति में विशिष्ट महत्व है। त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाने तथा रीति रिवाज के परिपालन में महिलाओ की महत्ती भूमिका होती है। पूजापाठ, व्रत त्योहारों के दौरान घर मे अतिरिक्त कार्य कार्यो को व्यवस्थित करने का दायित्व भी अधिकांशतरू महिलाओ पर ही होता है। अतरू महिलाएं संस्कृति की संरक्षक तथा वाहक दोनों होती है। पुरुष प्रधान समाज ने सभी परिवारिक उत्तरदायित्व में से आर्थिक तथा बाहरी कार्यो को चुना है अथवा उनका समाजीकरण ही इस प्रकार हुआ है। अतरू महिलाओं का दोहरा कार्य–जीवन आगामी सांस्कृतिक परिवर्तन, ह्रास, विलोपन का एक कारण भी हो सकता है।

निष्कर्ष

समाज में सभी नियम, अधिकार एवं कानूनी प्रावधान लैंगिक समानता एवं संवेदीकरण को ध्यान में रखकर बनाए गए है परंतु घरेलू स्तर पर लैंगिक समानता का स्वरूप अपेक्षाकृत अभी कम है। घर में परंपरागत संस्कृति एवं आधुनिकता का मिश्रित दौर है। वर्तमान आधुनिकीकरण के युग में परंपराओं को साथ लेकर चलने का दायित्व भी महिलाओं पर ही है पुरुष एवम महिला संबंधित भूमिका प्रतिमानो की पुनर्व्याख्या की आवश्यकता है। क्योंकि परंपरागत समाज में कार्य विभाजन का आधार आयु एवं लिंग के आधार पर था। आधुनिक समाज में समानता, कानूनी प्रावधान, स्वतंत्रता, शिक्षा संबंधी मूल्य के अनुसार कार्य का विभाजन पारस्परिक कार्य–कुशलता,

क्षमता एवम अर्जित मूल्य पर आधारित है। भारतीय संस्कृति के पितृसत्तात्मक प्रतिमानों के तले निर्धारित महिलाओ की कार्य भूमिका वर्तमान में घर तथा कार्यस्थल के दोहरे दायित्व मे जीवन यापन करने को मजबूर है। सीमित समय में घर–परिवार एवं कार्यस्थल की भूमिका अपेक्षाओं को पूर्ण करने में विवाहित कामकाजी महिलाओं को समाज के पुरुष वर्ग के उदार एवं सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हॉल डी टी ए मॉडल ऑफ कोपिंग विथ रोल कनफ्लिक्टरू द रोल बिहैवियर ऑफ कॉलेज एडुकेटेड वूमेन स्त्रोतरू–एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वाटरली दिसम्बर 1972 वॉल. 17, न. 4, पेज – 471– 486 पब्लिश्ड बाय – सेज पब्लिकेशन यू आर एल: - https://www.jstor.com/stable/2393827
2. एलमैन मार्गरेट आर एंड गिल्बर्ट ए लूसिया (1984) "कोपिंग स्ट्रटेजि फॉर रोल कंफ्लिक्ट इन मैरीड प्रोफेशनल वुमेन विथ चिल्ड्रेन", फैमिली रिलेशन अप्रैल1984 वॉल. 33(2), पेज 317–327 पब्लिश्ड बाय – नेशनल कौंसिल ऑन फैमिली रिलेशन यू आर एल: – https://www.jstor.com/stable/583799 accessed 13-7-20241:53 UTC
3. ग्रीनहौस् एच जेफरी एंड ब्यूटेल निकोलस जे (1985)"सोर्सेस ऑफ कंफ्लिक्ट बिट्वीन वर्क एंड फैमिली रोल्स"द अकादमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, जन.1985, वॉल.10 (1) पेज 76–88 यू आर एल: – https://www.jstor.com accessed 13-7-2024 03:14:46 UTC
4. पेरेरा मिर्टले ई एच (1987)" चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वुमेन इन श्रीलंका" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोसियोलॉजी ऑफ द फैमिली वॉल 17(1) पेज 1–23, यू आर एल: – https://www.jstor.com accessed: 1772024, 02:27utc
5. नागर सविता (1998), भारतीय समाज में कार्यशील महिलाएं
6. अंसारी एम ए (2007), महिला व मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
7. डॉ गिरधर राव एम एस, (2022)"रोल कंफ्लिक्ट एमंग वर्किंग वुमेनरू चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन" आईजेसीआरटी वॉल 10(7) जुलाई 2022. यू आर एल: – www.ijcrt.org
8. शर्मा धारणा, बहुगुणा उमा (2023)"कार्यशील महिलाओ के परिवारों मे लैंगिग असमानता का बदलता स्वरूपः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" जन–जून 2023, राधकमल मुखर्जीरू चिंतन परंपरा पेज न 170.

❑❑❑